वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 13.03.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 13.03.2025

वीडीए ने अवैध निर्माण किए सील

वाराणसी। वीडीए ने बुधवार को दो अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया। नगवा वार्ड के अखंरी बाईपास में कमलेश मौर्या की ओर से सीएम पैलस में अवैध निर्माण किया गया था। जिसे पूर्व में नोटिस दिया गया था। बाब्रजूद अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। वार्ड शिवपुर में मुरारी लाल पटेल की ओर से सगुनहा में अवैध निर्माण सील किया गया। जिसे तोड़कर दोबारा निर्माण कराया जा रहा है। जिसे सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। शिवपुर वार्ड के नंदलाल बृजलाल ने सगुना बाबतपुर में अवैध निर्माण किया था। पूर्व में नोटिस दिया गया था, बावजूद काम कराने पर अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 13.03.2025

शहर के तीन दसवां स्थलों का वीडीए कराएगा विकास

वाराणसी। वीडीए की ओर से शहर के तीन दसवां स्थलों का विकास किया जाएगा। पिशाचमोचन, अहिराना गली, लक्ष्मी घाट पर शौचालय, सेप्टिक टैंक, चेंजिंग रूम और बोरिंग का निर्माण होगा। 42.36 लाख की लागत से होने वाले निर्माण से लोगों को सुविधा मिलेगी। ज्यादातर दसवां स्थल की स्थिति ठीक नहीं है। टूटे-फूटे स्थलों के चलते आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई बार लोगों ने जनप्रतिनिधियों से शिकायत की। बावजूद इसपर कोई ध्यान नहीं देता है। मृत्यु के दसवें दिन परिवार के लोग दसवां स्थल पर जाते हैं। वहां परिवार के पुरुष सदस्य मुंडन कराते हैं। महिलाएं उसी स्थल पर स्नान करती हैं। ज्यादातर दसवां स्थल पर पानी और शौचालय की दिक्कत है। कई लोग मजबूरी में उसी कुंड के पानी से स्नान करते हैं। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि तीन स्थानों पर दसवां स्थलों का विकसित किया जाएगा। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 13.03.2025

ई ऑफिस क्रियान्वयन में वीडीए को दूसरा स्थान

वाराणसी। वीडीए को ई-ऑफिस क्रियान्वयन में दूसरा स्थान मिला है। शासनादेश के तहत, सभी पत्रावलियों का संचालन ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही किया जा रहा है। वाराणसी में 1881 ई फाइल बनाई गईं। 14346 फाइलें आगे बढ़ाई गईं। 3351 फाइलें प्राप्त की गईं। इसी प्रकार 31705 प्राप्त फाइलों को आगे बढ़ाया। ब्यूरो

आज–दि0 13.03.2025

विप्रा ई-आफिस क्रियान्वयन में प्रदेश में दूसरा स्थान किया प्राप्त

वाराणसी विकास प्राधिकरण को ई-आफिस का सफल क्रियान्वयन करने पर उनको प्रदेश में दुसरा स्थान दिया गया। एक कार्यक्रम में शासन के मूल्यांकन प्रक्रिया में वाराणसी विकास प्राधिकरण को प्रदेश में दुसरे स्थान पर रख गया। ई-फाईल क्रेटेड:१८८१, ई-फाइल मूवेड:१४३४६, ई-रीसीफ्ट क्रेटेड:३३५१, ई-रीसीफ्ट मूवेड:३१७०५ फाइल प्रस्तावित की गयी है। यह प्राणी सरकारी कार्यों को आनलाइन के साथ पेपर लेस बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फाइलों की बोझ से सरकारी विभागों में लोगों को गंदगी का सामना नही करना पड़ेगा और फाइलों की गति भी बढ़ायी जायेगी जिससे कि पारदर्शिता हो सके। संबंधित विषय में प्रदेश के मुख्य मंत्री ने डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत सुशासन को बढ़ावा देने पर प्रयास करने को कहा था। जिसमें वीडीए एक कदम आगे बढ़कर पत्रावलियों को ई-आफिस सिस्टम से जोड़ दिया। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिये फाइलों की स्थिति का सही समय पर निगरानी संभव हो सकेगा।

दो भवन का निर्माण कार्य सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर वार्ड नगवां अखरी बाइपास के पास भवन का निर्माण कराया जा रहा था। बिना मानचित्र स्वीकृति के कराये जा रहे निर्माण पर विप्रा से गत वर्ष २० दिसंबर को नोटिस भेजी गयी थी किंतू भवन स्वामी रात्रि के समय भवन निर्माण पर कार्यक्रम जारी रखा। शिकायत मिलने पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, निकटम थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और भवन में कार्यरत मजदूरों को हटाने के बाद उसे सिल कर दिया। सिल करने के बाद क्षेत्रीय अवर अभियंता ने निकटम थाने की अभिरक्षा में भवन को सौंप दिया। इसी प्रकार वार्ड शिवपुर में भवन स्वामी मुरारी लाल पटेल सगुनहा बाइपास पर बिना मानचित्र स्वीकृति के भवन का निर्माण करा रहे थे। भवन निर्माण को रोकने के लिए अप्रैल २०२३ में नोटिस भेजी गयी थी। लेकिन भवन स्वामी ने भवन का निर्माण कार्य जारी रखा। शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र, प्रवर्तन विभाग के अलावा निकटम थाने की पुलिस की मौजूदगी में भवन को सील करते हुए संबंधित थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 13.03.2025

वीडीए ने सील किया अवैध निर्माण

जागरण संवाददाता, वाराणसी: विकास प्राधिकरण ने बुधवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जोन चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि नगवां वार्ड के अखरी बाईपास पर कमलेश मौर्या को अवैध निर्माण करने पर नोटिस जारी कर बंद करने को कहा गया था। निर्माण बंद नहीं होने पर सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि शिवपुर वार्ड के सगुनहा में मुरारी लाल पटेल चार मंजिल का अवैध निर्माण कर रहे थे। तीन अप्रैल-2023 को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण बंद करने को कहा गया था, फिर भी निर्माण जारी रहने पर सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया था। भवन स्वामी सील तोड़कर निर्माण कर रहा था। शिवपुर वार्ड के बाबतपुर में नंदलाल अवैध निर्माण कर रहे थे। 20 सितंबर-2024 को नोटिस जारी करने के साथ अवैध निर्माण बंद करने को कहा गया था लेकिन निर्माण जारी रहा। उक्त निर्माण को भी सील कर दिया गया।

विकास प्राधिकरण को प्रदेश में दूसरा स्थान मिला

जासं, वाराणसी : ई-आफिस क्रियान्वयन में वीडीए ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। पत्रावलियों का संचालन ई-आफिस प्रणाली के जरिए किया जा रहा है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि सभी अनुभाग को आनलाइन करने का निर्देश दिया गया है।

न्यायाधीश–दि0 13.03.2025

वाविप्रा जोन-4 द्वारा की गई अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 वार्ड-भेलूपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-नगवा के अंतर्गत कमलेश मौर्या व अन्य द्वारा भूखण्ड संख्या अखरी बाईपास मेन रोड सी0 एम0 पैलस,वार्ड-नगवा, थाना-रोहनिया जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दिनांक 20/12/2024 को नोटिस की कार्यवाही की गई थी, किन्तु पक्ष द्वारा लगातार रात्रि के दिनों में किये जा रहे उक्त अनधिकृत निर्माण को आज दिनांक 12/03/2025 को स्थल को सील कर सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।